



2026:AHC-LKO:20139

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट-ए संख्या - 9779 वर्ष 2025**

राम अचल कौलिक

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण

विभाग, लखनऊ एवं 2 अन्य

..... प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : फूल बक्स सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-7**माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विरोधी पक्षकारों के विद्वान राज्य अधिवक्ता को सुना।

2. याचिका इस प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है कि संबंधित प्राधिकारी को निर्देशित किया जाए कि वह सेवा से बर्खास्तगी की तिथि से पुनः नियुक्ति की तिथि तक देय वेतन एवं विधि अनुसार अन्य भत्तों का भुगतान, ब्याज सहित, सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि के लिए 75% वेतन का भुगतान, ब्याज सहित, किए जाने हेतु संबंधित प्राधिकारी को निर्देशित किए जाने की भी प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. प्रारम्भ में ही, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, निर्देशों के आधार पर, प्रस्तुत करते हैं कि वे प्रार्थना संख्या 1 पर ही जोर दे रहे हैं तथा प्रार्थना संख्या 2 पर बल नहीं दे रहे हैं, जिसे तदनुसार **बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।**

4. यह प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में दिनांक 07.08.2020 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त कर दी गई थीं, जिसे रिट-ए संख्या 24001 वर्ष 2020 में चुनौती दी गई थी। उक्त याचिका को दिनांक 07.02.2023 के निर्णय एवं आदेश द्वारा मुख्यतः उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम 7 के उल्लंघन के आधार पर स्वीकार किया गया। तथापि यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई जांच की जानी हो, तो वह दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य सहित नवीन आरोपपत्र प्रेषित कर प्रारंभ की जाएगी तथा उसे चार माह की अवधि के भीतर संपन्न किया जाएगा। निर्णय में यह भी प्रावधान किया गया कि यदि राज्य चार माह की अवधि के भीतर जांच संपन्न करने में असफल रहता है, तो उसे आगे जांच करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

5. उपर्युक्त निर्णय को तत्पश्चात विशेष अपील संख्या 309 वर्ष 2023 में चुनौती दी गई तथा उसे दिनांक 22.11.2023 के निर्णय एवं आदेश द्वारा इस सीमा तक संशोधित करते हुए निस्तारित किया गया कि अनुशासनिक अधिकारियों/जांच अधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही संबंधी निर्देशों को निरस्त कर दिया गया। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि जांच कार्यवाही को संपन्न करने हेतु प्रदान की गई समय-सीमा यथावत बनी रही तथा इसके विरुद्ध कोई अन्य अपील दाखिल नहीं की गई।

6. यह प्रस्तुत किया गया कि स्वतंत्रता प्रदान किए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई आगे की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई, जिसे तत्पश्चात सेवा में बहाल कर दिया गया, किन्तु सेवा से बर्खास्तगी से बहाली तक की अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया है।

7. विद्वान अधिवक्ता ने वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-II भाग 2 से 4 के नियम 54-क का उल्लेख करते हुए यह प्रस्तुत किया है कि ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता उक्त अवधि के पूर्ण वेतन का अधिकारी है।

8. दिनांक 29.01.2026 को, राज्य के विद्वान अधिवक्ता को यह जानने हेतु लिखित निर्देश प्राप्त करने के लिए समय प्रदान किया गया था कि प्रदान की गई स्वतंत्रता के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई नवीन जांच की गई है या नहीं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. इसके अनुपालन में, राज्य के विद्वान अधिवक्ता को दिनांक 14.03.2026 के लिखित निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिसकी प्रति अभिलेख पर ली जाती है, तथा जिसके अनुसार, प्रस्तर-10 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रकरण समिति को संदर्भित किया गया था, जिसने अपने निर्णय दिनांक 02.03.2023 में यह संकेत किया कि किसी नवीन जांच की आवश्यकता नहीं है। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि प्रदान की गई स्वतंत्रता के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई नवीन जांच प्रारंभ नहीं की गई।

10. अतः यह स्पष्ट होने पर कि बर्खास्तगी आदेश निरस्त किए जाने के पश्चात याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई नवीन जांच नहीं की गई, इस प्रश्न पर विचार अपेक्षित होगा कि क्या याचिकाकर्ता बर्खास्तगी से बहाली तक की अवधि के पूर्ण वेतन का अधिकारी है।

11. उक्त पहलू का स्पष्ट उल्लेख वितीय हस्तपुस्तिका खंड-II भाग 2 से 4 के नियम 54-क में किया गया है, जो निम्नवत् है:-

"एफ०आर० 54-क. (1) जहाँ किसी शासकीय सेवक की सेवा से बर्खास्तगी, पद से हटाया जाना अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति को विधि न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है तथा ऐसे शासकीय सेवक को बिना किसी और जांच के बहाल कर दिया जाता है, वहाँ कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि का नियमितीकरण किया जाएगा और शासकीय सेवक को उप-नियम (2) या (3) के प्रावधानों के अनुसार, यदि न्यायालय के कोई निर्देश हों तो उनके अधीन रहते हुए, वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

(2) (i) जहाँ किसी शासकीय सेवक की सेवा से बर्खास्तगी, पद से हटाया जाना अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति को न्यायालय द्वारा केवल संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) की आवश्यकताओं के अनुपालन न किए जाने के आधार पर निरस्त किया जाता है, तथा जहाँ उसे गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्त नहीं किया गया हो, उक्त शासकीय सेवक को, नियम 54 के उप-नियम (7) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उस वेतन एवं भत्तों की राशि (पूर्ण नहीं) का भुगतान किया जाएगा, जिसका वह अधिकारी होता यदि उसे सेवा से बर्खास्त, पद से हटाया या अनिवार्य सेवानिवृत्त या ऐसे बर्खास्तगी, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति से पूर्व निलंबित न किया गया होता, जैसा कि सक्षम

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा, इस संबंध में प्रस्तावित राशि की सूचना शासकीय सेवक को देकर तथा उसके द्वारा प्रस्तुत, यदि कोई हो, अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात, ऐसी अवधि के भीतर जो सूचना की सेवा की तिथि से साठ दिन से अधिक नहीं होगी, जैसा कि सूचना में निर्दिष्ट किया गया हो:

परंतु यह कि इस उप-नियम के अंतर्गत किसी ऐसे शासकीय सेवक को किया जाने वाला कोई भी भुगतान, जो वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 (4 वर्ष 1936) के प्रावधानों द्वारा शासित नहीं है, उस अवधि तक ही सीमित रहेगा जो न्यायालय के निर्णय पारित किए जाने की तिथि से ठीक पूर्व के तीन वर्ष या ऐसे शासकीय सेवक की अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तिथि तक की अवधि, जो भी लागू हो, के भीतर आती हो।

(ii) सेवा से बर्खास्तगी, पद से हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि तथा न्यायालय के निर्णय की तिथि के मध्य की अवधि, जिसमें ऐसी बर्खास्तगी, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति से पूर्व की निलंबन अवधि भी सम्मिलित है, यथास्थिति, नियम 54 के उप-नियम (5) में निहित प्रावधानों के अनुसार नियमित की जाएगी]... "

12. उपर्युक्त पहलू पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राज नारायण बनाम भारत संघ एवं अन्य, सिविल अपील संख्या 3339 वर्ष 2019** में निम्नवत् विचार किया गया :-

"7. विचारार्थ शेष प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता वर्ष 1979 से 1987 के मध्य की अवधि के लिए पूर्ण वेतन के भुगतान का अधिकारी है। अपीलकर्ता को दिनांक 23.10.1979 को निलंबित किया गया था तथा उसका निलंबन दिनांक 21.10.1987 को निरस्त किया गया। इस मध्यावधि के दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, जिसके द्वारा दिनांक 21.03.1983 को अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दी गई। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ही था जो आपराधिक वाद लंबित होने के कारण विभागीय जांच को स्थगित करने का आग्रह कर रहा था। निलंबन का आदेश अनुशासनिक कार्यवाही की परिकल्पना में पारित किया गया था। अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त किए जाने के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

फलस्वरूप अपीलकर्ता दिनांक 23.10.1979 से लेकर विभागीय जांच के समापन की तिथि तक की अवधि के पूर्ण वेतन का दावा करने का अधिकारी हो जाता है। तत्पश्चात, उत्तरदातागण द्वारा उसका निलंबन निरस्त कर उसे बहाल करने में चार वर्ष का समय लिया गया। दिनांक 23.10.1979 का निलंबन आदेश दिनांक 21.03.1983 को समाप्त हो गया, जो वह तिथि है जिस दिन अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गई। अपीलकर्ता को तत्पश्चात तत्काल बहाल किया जाना चाहिए था, जब तक कि कोई नवीन आदेश पारित कर उसे आपराधिक विचारण लंबित रहने के दौरान पुनः निलंबित न किया जाता, जो कि नहीं किया गया। अंततः, अपीलकर्ता को दिनांक 21.10.1987 के आदेश द्वारा, निलंबन आदेश को निरस्त करते हुए, बहाल किया गया। यद्यपि, तकनीकी रूप से, विद्वान अपर महाधिवक्ता यह प्रस्तुत करने में सही हैं कि प्रश्नगत निर्णय में अंतरिम आवेदन का उल्लेख तक नहीं है, तथापि इस स्तर पर हम इस बिंदु के नवीन विचारार्थ प्रकरण को उच्च न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने के इच्छुक नहीं हैं। हम यह धारित करते हैं कि अपीलकर्ता दिनांक 23.10.1979 से 21.10.1987 तक की अवधि के लिए, निर्वाह भत्ता के रूप में पूर्व में किए गए भुगतान का समायोजन करते हुए, पूर्ण वेतन का अधिकारी है।

8. उपर्युक्त कारणों के लिए, हम उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुमोदन करते हुए यह धारित करते हैं कि अपीलकर्ता दिनांक 31.08.2001 को दोषमुक्त किए जाने की तिथि से लेकर दिनांक 20.01.2003 को उसकी बहाली की तिथि तक ही पिछला वेतन प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता दिनांक 23.10.1979 से 21.10.1987 तक की अवधि के लिए पूर्ण वेतन का अधिकारी होगा।"

13. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के साथ-साथ नियमों तथा निर्णय के लागू होने पर यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का बर्खास्तगी आदेश, नियमावली 1999 के नियम 7 के अंतर्गत मौखिक जांच से संबंधित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन न किए जाने के कारण निरस्त किया गया तथा इस न्यायालय द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता के बावजूद कोई नवीन जांच प्रारंभ नहीं की गई, अतः याचिकाकर्ता दिनांक 07.08.2020 अर्थात् बर्खास्तगी की तिथि से लेकर दिनांक 12.07.2023 अर्थात् सेवा में बहाली की तिथि तक के पूर्ण वेतन का अधिकारी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

होगा। इस आदेश का अनुपालन संबंधित प्राधिकारी पर इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।

14. परिणामस्वरूप, याचिका सफल होती है एवं उपर्युक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है। पक्षकार अपने-अपने व्यय वहन करें

19 मार्च, 2026

लक्ष्मण

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।